(Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005-II, Dated 7th June, 2013 as required under Articles 348 (3) of the Constitution of India).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF FORESTS

No. FFE-B-F(6)-11/2005-II/ Sri Naina Devi

Dated Shimla-2, the 7th June, 2013

NOTIFICATION

Whereas a notification under Section 26 A of the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972) was issued vide Notification No. FFE-B-F(6)-9 /99 dated 23.10.1999 to declare **Shri Naina Devi as Wildlife Sanctuary** comprising an area of 123 sq. km;

And whereas, the matter with regard to rationalization of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh was under consideration of the Hon'ble Supreme Court in IA No. 139/2010 in Writ Petition Civil No. 337of 1995 titled Centre for Environmental Law, WWF-I Versus Union of India & Others:

And whereas, in pursuance to the Hon'ble Supreme Court order dated 7th May 2010, the State Government issued intention Notifications under Section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, in respect of the Wildlife Sanctuaries and National Parks for which rationalization had been proposed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 05/08/2011, further directed the State to follow the procedure laid down under Section 18 to 26A and 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, before issuance of final Notifications under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972, which procedure was duly followed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Cou.t vide order dated 01/02/2013, passed in IA No. 155 (earlier IA No. 139/2010), has permitted the State Dovernment to issue final Notifications under Sections 26A, 35(4) & 36A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 with regard to the proposed rationalization of boundaries of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh:

And whereas, as a consequence of rationalization of boundaries of Shri Naina Devi Wildlife Sanctuary, out of actual ground area of 64.74 sq. km, 47.73 sq. km area (comprising of 48 villages list attached as **Annexure-I**) is hereby denotified. Further the remaining area of 17.01 sq. km in two parts (Part I =12.00 sq. km & Part II =5.01 sq. km.) is to be converted into a Conservation Reserve;

Now, therefore, the Governor Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 36A of the Act ibid is pleased to declare the remaining area of 17.01 sq. kms of Naina Devi Wildlife Sanctuary as 'Shri Naina Devi Conservation Reserve' with immediate effect, for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment.

The limits of 'Shri Naina Devi Conservation Reserve' (PART –I & PART-II) shall be as under:

	PART-I			
Sr. No.	Name of Conservation Reserve	Constituents i) District ii) Forest Division	Boundaries of Shri Naina Devi Conservation Reserve	
1.	Shri Naina Devi Conservation Reserve	i) Bilaspur ii) Hamirpur Wildlife Division	NORTH: Starting from the Kala Kund pulli at Palsed Khad. Boundary Pillar to electricity service station upto Bhakra C-2, metalled road (upper side, Bhakra Dam metalled road to Naina Devi). EAST: Starting from the Bhakra metalled road upper side C-2), Bhakra DPF Boundary, Khulwin C-3 DPF upper side of metalled I road up to C-6 DPF Makri, C-6 DPF. Makri alongwith metalled road up to C-7 DPF Khal, C-7 DPF Khal along with metalled road upper side upto C-9 DPF Saloa, C-9 DPF Saloa along with metalled road upper side up to C-12 Rachoh, C-12 DPF Rachoh Boundary	

upper side of metalled road upto C-13 Kanfara DPF, C-13 DPF Kanfara Lower side of metalled road upto C-14 DPF. Dadoh, C-14 DPF Dadoh alongwith metalled road upper side upto link point of Kharkari C-14 DPF Dadoh.

SOUTH: Starting from C-14 DPF Dadoh Link point Kharkari to upper side boundary pillar at Galla C-14 Dadoh, then turns along nalla flowing from Mohwali to Palsed khad upto DPF boundary of Khulwin then along the same DPF boundary excluding the private land and temples of Dorian, Modar and Kasla villages then along Lehri DPF boundary, Makari DPF boundary and Sandla DPF boundary upto crossing point of a nalla flowing from peak 924 m to Tnual di khad then along the same khad down stream upto path crossing point on khad.

WEST: Starting from the end point of southern boundary path crossing point on khad along the natural limit of the forests and sepration limit of cultivation excluding the villages out side village Sandla, Nila Bas and uprla Bas, Daler, Dungli, Lehri, near FRH Lehri, Palsed, Chhamban and Kala Kund upto starting point of Northen boundary of Part-I C.R.

Area=12.00 Sq km

		PA	RT-II
Sr.No.	Name of Conservation Reserve	Constituents i) District ii) Forest Division	Boundaries of Shri Naina Devi Conservation Reserve
1.	Shri Naina Devi Wildlife Sanctuary	i) Bilaspur ii) Hamirpur Wildlife Division	NORTH: Starting from road near FRH Badol on the boundary of Badon PF excluding the
			cultivation/ Dehat limit of village Galua and including of Galua DPF, then upto common
			boundary of Suwaina DPF out side and Galua DPF Galua DPF in side along a khad
	,		down stream upto limit of Kalri village cultivation and follows Kalri DPF boundary
			upto V shape then moves up hill inside of Kalri DPF upto road further excluding
٠	4		Panjpora area including road and Gurudwara on ridge then turns to downside near
	·		Gurudwara upto Kalri DPF boundary and follows the Kalri DPF boundary upto
			sepration line of Katla village cultivation and Kalri DPF.
			EAST: Starting from end point of northern
			boundary moves along DPF boundary Kalri via point 991 and state boundary Punjab and
			Himachal upto near Dharot village cultivation.
			SOUTH: Starting from end point of eastern
	٠.		boundary upto nalla near village Dharot then up stream in left side branch of main nalla
			upto Nimawali PF boundary near Pansui village and follows the Nimawali PF
		·	boundary to right side upto main nalla then

ø

. 1,

	upstream of main nalla and excluding the
	village khadwali cultivation /Dehat then again
	along the same nalla and excluding the
	village Nimawali/ Jol village cultivation upto
	Nimawali upper limit and Galua DPF
	boundary.
	WEST: Starting from end point of southern
·	boundary along nalla upstream upto Badoh
	Pvt. Land and Galua / Badoh DPF boundary
	upto FRH Badoh the starting point of
	northern boundary of part-II C.R.
	Area:5.01 Sq km

Part-I North Lat. 31°24 '34 " N & Long.76° 26' 15" E East Lat.31°19 '00 "N & Long.76° 32' 28" E, South Lat.31°18' 44" N & Long.76° 32' 15" E West Lat.31°24' 26 " N & Long.76° 25' 49 "E which falls on Survey of India topo sheet No. 53 A/7 and 53A/11 on scale 1: 50,000.

Part-II North Lat. 31°18'15" N & Long.76° 32' 54" E East Lat.343'16 '38 "N & Long.76°35' 34" E, South Lat.31°16'07" N & Long.76° 34' 22" E West Lat.31°18'07 "N & Long.76° 32' 48 " E which falls on Survey of India topo sheet No. 53 A/11 on scale 1: 50,000.

Area of Shri Naina Devi Conservation Reserve =17.01 sq km.

BY ORDER

Principal Secretary(Forests)to the Government of Himachal Pradesh.

Endst. No As above

Dated Shimla-2 the

June, 2013

Copy forwarded to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 2. All the Divisional Commissioners, Shimla, Mandi & Dharamshala, H.P.
- 3. All the Heads of Departments of H.P.
- 4. The Principal Chief Conservator of Forests, H.P. Shimla-1
- 5. The Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife) H.P. Shimla-1.
- 6. All CCFs / DFOs (Wildlife) in H.P.
- 7. All the Deputy Commissioners in H.P.
- 8. All the CCFs/CFs /DFOs in H.P.
- 9. ALR-cum- Under Secretary Law to the Government of Himachal Pradesh.
- 10. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla.
- 11. The Controller H.P. Printing & Stationary Department Shimla-5 for publication in the Raj-Patra (Extra-ordinary) Five Copies of the Raj Patra be sent to this Department.

12. Guard File.

Under Secretary (Forests) to the Government of Himachal Pradesh.

Annexure-I

	Thinage to be excluded from Sri Nainaday trans	
	st of Village to be excluded from Sri Nainadevi Wildlife Sanctu Name of Village	ary
1	Palsed	
2	Lehri	
3	Modar	
4	Dohrian	
5	Dhalet	
6	Thanakolian	
7	Bhakhra	
8	Khulwin	
9	Makri	
10	Uttaper	
11	Khal	
12	Sandla	
13	Thana	
14	Saloa	
15	Barsu-da-Tiba	
16	Sarani	
17	Kanfara	
18	Kahiwala Tiba	
19	Guru Ka Lohre	
20	Ghatewal	
21	Bhater	
22	Kharkari	\neg
23	Kamandwal	7
24	Chilt	\exists
 25	Bharwala	
26		\exists
27	Kala Kund / Manak Chak Maleta	
28	Dadoh	
9	Badoh	
0	Mandhyali	
1	Galwa	
2	Chochru	
3	Kalari	7
4	Kothi Reyala	7
·	пости кеуага	4

35	Kotlu
36	Challaila
37	Swana/ Nakrana
38	Krahal
39	Mohwali
40	Dorakasla
41	Ghawandal
42	Bari Walla Tiba
43	Sandhotti
14	Khadbali
15	Pansui
6	Nimawali / Jol
17	Turkhi Ghat
8	Khendal Ghat

हिमाचल प्रदेश सरकार वन विभाग

संख्याः एफ.एफ.ई –बी–एफ.(6)–11 / 2005-II श्री नैना देवी तारीख शिमला–2, 7 जून, 2013 अधिसूचना

सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 26क के अधीन अधिसूचना संख्याः एफ.एफ-बी-एफ(6)-9/99 तारीख 23-10-1999 द्वारा 123.00 वर्ग किलोमीटर से समाविष्ट क्षेत्र श्री नैना देवी को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी;

और हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के युक्तिकरण की बाबत मामला आईए न0 139/2010 इन रिट पिटिशन सिविल न0 337 ऑफ 1995 नामतः सेन्टर फॉर एनवारनमेंटल लॉ, डबल्यू डबल्यू एफ—I बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्ज में माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 7 मई, 2010 के अनुसरण में राज्य सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों, जिनके लिए युक्तिकरण प्रस्तावित किया गया था, की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अधीन आशय अधिसूचनाएं जारी की थी;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 5-8-2011 द्वारा, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने से पूर्व वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 से 26क और 35 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए भी राज्य सरकार को निर्देश दिए गए, जिस प्रक्रिया का सम्यक् रूप से अनुसरण किया गया था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आईए न0 155 (पहले आईए न0 139/2010) में पारित आदेश तारीख 1—2—2013 द्वारा, राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों की सीमाओं के प्रस्तावित युक्तिकरण की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क, 35(4) एवं 36क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने को अनुमत किया है;

और श्री नैना देवी वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाओं के युक्तिकरण के परिणामस्वरुप मौके पर भू—क्षेत्र 64.74 वर्ग किलोमीटर में से, 47.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र (जिसमें 48 गांव पड़ते हैं की सूची उपाबन्ध—I के अनुसार) को एतद्द्वारा अभ्यारण्य से निकाल दिया जाता है । इसके अतिरिक्त, 17.01 वर्ग किलोमीटर का शेष क्षेत्र दो भागों में (भाग—I = 12.00 वर्ग किलोमीटर और भाग—II =5.01 वर्ग किलोमीटर) को संरक्षण आरक्षित क्षेत्र में परिवर्तित किया जाना है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 36क के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन्य जीव और इसके पर्यावरण के संरक्षण, प्रसारण या विकसित करने के प्रयोजन के लिए, 17.01 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तुरन्त प्रभाव से श्री नैना देवी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित करती हैं।

श्री नैना देवी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की सीमाएं निम्न प्रकार से होंगी:

	भाग-1		
कम	संरक्षण	घटक	श्री नैना देवी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की सीमाएं
संख्या	आरक्षित क्षेत्र	i) जिला /	
	का नाम	i) वन मण्डल	14. · · ·
1	श्री नैना देवी	i) बिलासपुर i) हमीरपुर (वन्य जीव) मण्डल	होते हुए, सीमा स्तम्भ से बिजली सर्विस स्टेशन से
			पूर्वः भाखड़ा अनुभाग—2 जंगल सीमा के साथ भाखड़ा नैंनादेवी पक्की सड़क के ऊपर भाखड़ा सीमांकित संरक्षित वन, खुल्वीं अनुभाग—3 सीमांकित संरक्षित वन (सड़क के ऊपर) सीमा के साथ—साथ अनुभाग—6 सीमांकित संरक्षित वन मकड़ी तक, अनुभाग—6 तीमांकित संरक्षित वन मकड़ी से भाखड़ा से नैनादेवी सड़क के माथ—साथ अनुभाग—7 सीमांकित संरक्षित वन खाल तक व अनुभाग—7 सीमांकित संरक्षित वन खाल तक व अनुभाग—7 सीमांकित संरक्षित वन खाल से पक्की सड़क के ऊपर अनुभाग—9 सीमांकित संरक्षित वन सलोआ से सड़क के ऊपर अनुभाग—12 रछोह सीमांकित संरक्षित वन सीमांकित सीमांकि

रछोह सीमा के साथ—साथ अनुभाग—13 कनफाड़ा सीमांकित संरक्षित वन तक व पक्की सड़क नैना देवी के निचली तरफ अनुभाग—13 कनफाड़ा वन से अनुभाग—14 डडोह सीमांकित संरक्षित वन तक व अनुभाग—14 डडोह सीमांकित संरक्षित वन सड़क (भाखड़ा से नैनादेवी) के ऊपर की तरफ सड़क के साथ—2 से सम्पर्क चौक खरकड़ी व अनुभाग—14 सीमांकित संरक्षित वन डडोह तक ।

विक्षण: अनुभाग—14 सीमांकित संरक्षित वन डडोह सम्पर्क चौक खरकड़ी से ऊपर की तरफ सीमा स्तम्भ गला से अनुभाग—14 डडोह तक फिर नाले के साथ—साथ जोकि मोहवाली से पलसेड खडड में बहता है होती हुई खुलबीन संरक्षित वन की सीमा के साथ से डोरियन, मोदर और कासला गाांवों की निजि भूमि व मन्दिरों को बाहर करते हुए फिर लैहड़ी सीमांकित संरक्षित वन की सीमा, माकड़ी सीमांकित संरक्षित वन और सांधला सीमांकित संरक्षित वन सीमा के साथ नाला को पार करने वाले बिन्दु से जोकि चोटी 924 मीटर से तनूल खंड में बहता है फिर इसी खडड के साथ—साथ नीचे की तरफ रास्ता पार करने के बिन्दु तक।

पश्चिमः दक्षिण सीमा के अन्तिम बिन्दु खंड रास्ता पार करने से शुरु हो कर वनों की प्राकृतिक सीमा के साथ—साथ गांवों सांधला, नीलावास, ऊपरलावास, दलेर, डुंगली, लैहड़ी, वन विश्राम गृह लैहड़ी, पलसेड, छामबान और काला कुण्ड को बाहर निकालते हुए नीजि भूमि हद के साथ—साथ उत्तरी सीमा के आरम्भ बिन्दु तक ।

क्षेत्रफल= 12.00 वर्ग कि0मी0

भाग-ा	भाग-11		
कम	संरक्षण	घटक	श्री नैना देवी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की सीमाएं
संख्या	आरक्षित क्षेत्र	i) जिला/	
L	का नाम	ii)वन मण्डल	
1	श्री नैना देवी	i) बिलासपुर ii) हमीरपुर वन्य प्राणी मण्डल	गलुआ गांव की भूमि को बाहर करते हुए तथा गलुआ सीमांकित संरक्षित वन को अन्दर करते हुए सुएन वन बाहर तथा गलुआ अन्दर की सांझी सीमा के साथ—साथ नाले के साथ नीचे की ओर कालरी गांव की भूमि सीमा व कालरी सीमांकित संरक्षित वन सीमा के साथ V आकार तक उसके बाद कालरी सीमांकित संरक्षित वन में अन्दर की ओर मुड़ती हुई चोटी व सड़क तक उसके बाद पंजपौरा क्षेत्र को व सड़क और चोटी पर गुरुद्वारा को बाहर करती हुई गरुद्वारा के साथ नीचे की ओर से कालरी सीमांकित संरक्षित वन की सीमा तक और फिर कालरी सीमांकित संरक्षित वन की सीमा के साथ—साथ काटला गांव की कृषि भूमि और कालरी सीमांकित संरक्षित वन की सीमा के
			विभाजित सीमा तक । पूर्वः उत्तरी सीमा के अन्तिम बिन्दु से कालरी वन सीमा के साथ—साथ बिन्दु 991 मी० से होती हुई पंजाब व हिमाचल की अन्तर राज्य सीमा से होती हुई धरोट गांव की सीमा तक । दक्षिण: पूर्वी सीमा के अन्तिम बिन्दु से शुरु होते हुए
			गांव धरोट के नजदीक नाले तक फिर मुख्य नाले की बाई ओर के नाले में ऊपर की तरफ नीमावाली संरक्षित वन की सीमा तक नजदीक पनसूई गांव के साथ और फिर नीमावाली संरक्षित वन सीमा के साथ—साथ दाई ओर से मुख्य नाले तक उसके बाद मुख्य नाला में ऊपर की तरफ और गांव खडवाली की कृषि भूमि व देहात को बाहर करते हुए उसी नाले में आगे नीमावाली/जोल गांव की कृषि भूमि को बाहर करते हुए नीमावाली की ऊपरी सीमा व गलुआ

सीमांकित संरक्षित वन की सीमा तक ।

पश्चिमः दक्षिण सीमा के अन्तिम बिन्दु से शुरु होते हुए नाले के साथ ऊपर की ओर बढोह गांव की निजी भूमि व बढोह अनारक्षित संरक्षित वन की सीमा के साथ—साथ वन विश्राम गृह बढोह के पास संरक्षण आरक्षित क्षेत्र भाग—II की उत्तरी सीमा के शुरु वाले बिन्दु तक ।

क्षेत्रफल= 5.01 वर्ग कि0मी0

अनुसूचि भाग—1:- इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थितिः **उत्तर** अक्षांश 31º 24' 34" उत्तर और देशान्तर 76º 26' 15" पूर्व। **पूर्व** अक्षांश 31º 19' 00" उत्तर और देशान्तर 76º 32' 28" पूर्व। **दक्षिण** अक्षांश 31º 18' 44" उत्तर और देशान्तर 76º 32' 15" पूर्व और **पश्चिम** अक्षांश 31º 24' 26" उत्तर और देशान्तर 76º 25' 49" पूर्व। यह क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट नम्बर 53ए/7 व 53ए/11 (पैमाना 1:50,000) पर दर्शाया गया है।

अनुसूचि भाग—II:- इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थितिः उत्तर अक्षांश 31° 18' 15" उत्तर और देशान्तर 76° 32' 54" पूर्व । पूर्व अक्षांश 31° 16' 38" उत्तर और देशान्तर 76° 35' 34" पूर्व । दिक्षण अक्षांश 31° 16' 07" उत्तर और देशान्तर 76° 34' 22" पूर्व और पश्चिम अक्षांश 31° 18' 07" उत्तर और देशान्तर 76° 32' 48" पूर्व । यह क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट नम्बर 53ए / 11, (पैमाना 1:50,000) पर दर्शाया गया है ।

क्षेत्रफलः 17.01 वर्ग कि0मी०

आदेश द्वारा.

प्रधान सचिव (वन) हिमाचल प्रदेश सरकार । पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि।

दिनांक शिमला-2,

7 जून, 2013

प्रतिलिपि निम्न्लिखित् को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश-शिमला-2
- 2. सभी मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डी व धर्मशाला मण्डल हिमाचल प्रदेश ।
- 3. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 4. प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश शिमला-1
- 5. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश–शिमला–1
- 6. समस्त मुख्य अरण्यपाल / वनमण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश ।
- 7. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
- समस्त मुख्य अरण्यपाल / अरण्यपाल / वनमण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) हिमाचल प्रदेश ।
- 9. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 10. आयुक्त नगर निगम शिमला हिमाचल प्रदेश ।
- 11. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–5 को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु । कृपया इसकी पांच अतिरिक्त प्रतियां छूपी, जावें ।

12. गार्ड फाइल ।

अवर संचिव (वन) हिमाचल प्रदेश सरकार ।

श्री नैना देवी अभ्यारण्य से बाहर निकलने वाले गांवों की सूची

जन्यारथ्य स बाहर गियम्यम पाल गा
गांव का नाम
पलसेड
लैहरी
मोदर
डोहरियां
धलेत
थाना कोलियां
भाखड़ा
खुलबीन
माकड़ी
उद्दपर
खाल
सांधला
थाना
सलोआ
बरसू दा टिब्बा
सरनी
कनफारा
काहीवाला टिब्बा
गुरू का लाहीर
घटेवाल
भटेड
खरकड़ी
कमादवाल
चील्ट
भरबाला
काला कुण्ड/मानक चक
मले टा
डडोह
बडोह
मण्डयाली
गलुआ
चोचरू
कलरी

34	कोठी रियाला
35	कोटलू
36	चलैला
37	स्वाना / नकराना
38	करैहल
39	मोहवाली
40	डोराकासला
41	घवांडल
42	बड़ीवाला टिब्बा
43	संदौटी
44	खड्ड बली
45	पनसुई
46	नीमावली / जोल
47	तुरखी घाट खेंडल घाट
48	खैंडल घाट